भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०–151/2019–20

आदेश की तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
18.11.2019 20.11.19	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि **20.12.2019** को निर्धारित की जाती है। अभिलेख **20.12.2019** को उपस्थापित करें। 20.11.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
20.12.2019	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि **24.01.2020** को निर्धारित की जाती है। अभिलेख **24.01.2020** को उपस्थापित करें। 20.12.19 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
24.01.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि **05.02.2020** को निर्धारित की जाती है। अभिलेख **05.02.2020** को उपस्थापित करें। 24.1.20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।	
05.02.2020	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर से जाँच प्रतिवेदन निर्धारित अवधि में अप्राप्त। क्रेता एवं बिक्रेता के द्वारा स्वयं अथवा अधिवक्ता के माध्यम से पैरवी नहीं दी गई। इससे प्रतीत होता है कि क्रेता एवं बिक्रेता को भूमि क्रय–बिक्रय/भूमि हस्तांतरण में कोई अभिरूची नहीं रह गई है। नियमानुसार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" की कार्रवाई 90 दिनों के अन्दर निष्पादित करना है। अतः आवेदकगण की भूमि हस्तांतरण में दिखाई जा रही है उदासीनता के आलोक में वाद की कार्रवाई स्थगित की जाती है। 5-2-20 भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। **आदेश**	
19.02.2020	अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दिनांक 19.02.2020 को आवेदन पत्र दिया गया है कि अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर द्वारा TA Misc Case No.-151/2019-20 का जाँच प्रतिवेदन न्यायालय को विलम्ब से भेजे जाने के कारण साथ ही क्रेता एवं बिक्रेता के भूमि क्रय बिक्रय में अभिरूची नहीं रहने के कारण वाद की कार्रवाई स्थगित हो गया है। क्रेता एवं बिक्रेता उक्त वाद में वर्णित भूमि क्रय बिक्रय हेतु वर्त्तमान में सहमत हैं। बिक्रेता के विज्ञ अधिवक्ता द्वारा उक्त अभिलेख पुनर्जीवित करते हुए उक्त भूमि अंतरण हेतु अनुरोध किया गया है। बिज्ञ अधिवक्ता द्वारा दिए गए आवेदन पत्र के आलोक में अभिलेख पुनर्जीवित करते हुए बिक्रेता को भूमि अंतरण हेतु **स्वीकृति** दी जाती है।	

अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** के पत्रांक–**69**, दिनांक–**11.02.2020** द्वारा जाँच प्रतिवेदन दिनांक–**12.02.2020** को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक **श्री राकेश कुमार महतो**, पिता–**स्व0 तुलो चन्दग महतो**, जाति–**कुर्मी (अ॰पि॰वर्ग)**, ग्राम–**गूंजा**, पो0+थाना–**टोकलो**, जिला **प॰ सिंहभूम** ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। आवेदित भूमि मौजा–**आसनतलिया**, थाना नं0–88, थाना–**चक्रधरपुर**, खाता नं॰–**245**, खेसरा नं0–**2227, 2228**, रकवा क्रमशः–**01 डि0 615 वर्गकड़ी, 385 वर्गकड़ी, कुल रकवा–0.02 ए0** भूमि क्रेता **श्रीमति लक्ष्मी कुमारी महतो**, पिता–**स्व0 राजेन्द्र प्रसाद महतो**, जाति–**कुर्मी (अ॰पि॰वर्ग)**, ग्राम–कोटुवाँ, पो0–**जामीद**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला– **प॰ सिंहभूम** के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।

जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **श्री राकेश कुमार महतो**, पिता–**स्व0 तुलो चन्दग महतो**, जाति–**कुर्मी (अ॰पि॰वर्ग)**, ग्राम–**गूंजा**, पो0+थाना–**टोकलो**, जिला **प॰ सिंहभूम** के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।

बिक्रेता का थाना–**टोकलो** एवं क्रेता का थाना–**चक्रधरपुर**, जिला– **प0 सिंहभूम** के निवासी हैं। बिक्रेता एवं क्रेता का जाति **कुर्मी (अ॰पि॰वर्ग)**, समुदाय के सदस्य हैं। बिक्रेता उक्त वर्णित भूमि **मकान बनाने हेतु** बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि बिक्री के पश्चात् बिक्रेता को **चक्रधरपुर** अंचल अंतर्गत **रकवा 2.43 ए0** अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन बिक्रेता **श्री राकेश कुमार महतो**, पिता–**स्व0 तुलो चन्दग महतो**, जाति–**कुर्मी (अ॰पि॰वर्ग)**, ग्राम–**गूंजा**, पो0+थाना–**टोकलो**, जिला **प॰ सिंहभूम**, जिला **प॰ सिंहभूम** उक्त भूमि **1,00,000/–(एक लाख)** रूपये में उक्त क्रेता को बेचना चाहते हैं। राजस्व एवं निबंधन विभाग द्वारा निर्धारित दर अथवा क्रेता एवं बिक्रेता द्वारा तय मूल्य में जो अधिक है दर पर, निबंधन शूल्क अदा कर बेचने की **स्वीकृति** दी जाती है।

आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।

19.2.20

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता
पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।